न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(जे.पी. बैरवा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :–73/2019
निर्णय दिनांक:–26.06.2020

उनवान

1. जफरू पुत्र करीमा कोम बनजार निवासी करीम बक्श की ढाणी, ललवाडी तहसील निवाई
–वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार निवाई

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत तरमीम दुरूस्ती

उपस्थितः– श्री रामकल्याण पूनिया वकील वादीगण

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–
यह कि आराजी ख0न. 546/1/1/2 हॉल खसरा नम्बर 56/3 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्रमा ललवाडी तहसील निवाई में स्थिति भूमि वादी की खातेदारी भूमि है उक्त भूमि के पूर्व के खसर नम्बर 546/1/1/2 का कुल रकबा 5 बीघा था जो बाद में खसरा नम्बर 546/3 रकबा 5 बीघा नामान्तरण संख्या 1291 के जरिये दिनांक 26.05.2001 को कम्प्यूटर फिडिंगग के समय बदल दिया गया है उक्त खसरा नम्बर की भूमि मे से पूरब की तरफ दिनांक 31.01.2002 को वैकल्पिक शाला 6 घटे वाली करीम बक्श की ढाणी ललवाडी को उक्त भूमि मे से 10 बिस्वा भूमि वादी ने दान की थी जिस स्कूल के खसरा नम्बर 546/12 रकबा 10 बिस्वा है व शेष भूमि खसरा नम्बर 546/3 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा वाक़े ग्राम ललवाडी का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में अकिंत है। अतः वादी द्वारा निवेदन किया है कि उक्त खसरा नम्बर में तरमीम दुरूस्ती की डिकी इस अमर की फरमायी जावे कि खसरा नम्वर 546/1/1/1 के स्थान पर खसरा नम्बर 546/3 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा उक्त खसरा नम्बर के पूरब की तरफ राजकीय वैकल्पिक शाखा के खसरा नम्बर 546/12 रकबा 10 बिस्वा का अंकन किया जाकर राजस्व शीट को दुरूस्त किया जावे।

दावा पेश होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

नायब तहसीलदार दत्तवास द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। उभयपक्ष की बहस का मनन व सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार दत्तवास द्वारा रिपोर्ट पर कोई आपत्ती नहीं की गई। नायब तहसीलदार दत्तवास द्वारा प्राप्त रिपोर्ट को स्वीकार किया जाता है व नायब तहसीलदार एवं पटवारी हल्का ललवाडी की रिपोट के आधार पर

उपखण्ड अधिकारी
निवाई(टोंक)

Scanned with CamScanner

ग्राम ललवाडी के ख.न. 546/1/1/1 के स्थान पर खसरा नम्बर 546/3 रकबा 4.10 व ख0न0 546/12 रकबा 0.10 का अंकन एवं ख0न0 546/1/1/2 के स्थान पर खसरा नम्बर 546/1 करने के दुरूस्ती आदेश दिया जाकर तहसीलदार निवाई को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल करने के आदेश दिये जाते है।

यह निर्णय आज दिनांक 26.06.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

26/6

जे.पी.बैरवा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी निवाई

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(जे.पी. बैरवा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

(डिक्री मुकदमा इब्तदाई)

उनवान

1. जफरू पुत्र करीमा कोम बनजार निवासी करीम बक्श की ढाणी, ललवाडी तहसील निवाई

—वादीगण

बनाम

1.तहसीलदार निवाई

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत तरमीम दुरूस्ती

मुकदमा संख्याः— 73/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री जे.पी.बैरवा आर०ए०एस० व हाजरी रामकल्याण पूनिया वकील वादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि नायब तहसीलदार दत्तवास एवं पटवारी हल्का ललवाडी की रिपोट के आधार पर वादी का स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार निवाई को आदेश दिया जाता है कि वादवर्णित भूमि ग्राम ललवाडी के ख. न. 546/1/1/1 के स्थान पर खसरा नम्बर 546/3 रकबा 4.10 व ख०न० 546/12 रकबा 0.10 का अंकन एवं ख०न० 546/1/1/2 के स्थान पर खसरा नम्बर 546/1 करने के दुरूस्ती आदेश का नियमानुसार अमल दरामद करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26माह 06सन् 2020 को जारी की गई।

26/6

जे.पी.बैरवा

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी निवाई

Scanned with CamScanner